# विकास मित्र के योगदान, पर्यवेक्षण, प्रगति प्रतिवेदन हेतु दिशा–निर्देश

## I. विकास मित्र का योगदान

ग्रामीण क्षेत्र में नियोजित विकास मित्र संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं नगर निकाय क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष दिनांक 01.04.2010 से 15.04.2010 तक अपने पंचायत के विकास मित्र के रुप में योगदान करेंगे।

## II. पर्यवेक्षण / निरीक्षण

1. विकास मित्र के सामान्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं नगर निकाय क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी होंगे।
2. विकास मित्र के कार्यों का निर्धारण एवं पर्यवेक्षण संबंधित प्रखंड के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं नगर निकाय क्षेत्र के अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी करेंगे।
3. प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी नियमित रुप से विकास मित्रों के कार्यों की डायरी / क्षेत्र में कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण प्रत्येक विकास मित्र के कार्यक्षेत्र का माह में 2 बार, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी द्वारा दो माह में एक बार एवं जिला कल्याण पदाधिकारी सह–जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा तीन माह में एक बार न्यूनतम होना चाहिए।
4. विकास मित्र बिहार महादलित विकास मिशन एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सौंपे गए कार्यों को ही कार्यान्वित करेंगे। विकास मित्र को अन्य किसी प्रकार के कार्य आवंटित करने पर अनिवार्य रूप से बिहार महादलित विकास मिशन के राज्य कार्यालय से अनुमति लेना होगा।
5. बिहार महादलित विकास मिशन के अधिकारी / पदाधिकारीगण औचक निरीक्षण कर सकते हैं।

## III. विकास मित्र के कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन

1. प्रत्येक सप्ताह विकास मित्रों के कार्यों की समीक्षा हेतु प्रखंड कार्यालय में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा बैठक आयोजित की जायेगी।
2. विकास मित्र एक डायरी रखेंगे एवं अपने कार्य क्षेत्र में किए गए कार्यों को संधारित करेंगे। इस डायरी को प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के समक्ष साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
3. विकास मित्र अपने कार्यक्षेत्र में किये गए कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. प्रखंड कल्याण पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर सभी विकास मित्र से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में समेकित कर अपना प्रतिवेदन महीने के 30 तारीख तक जिला कल्याण पदाधिकारी सह–जिला परियोजना पदाधिकारी / अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (प्रभारी महादलित) को प्रस्तुत करेंगे।
5. जिला कल्याण पदाधिकारी सह–जिला परियोजना पदाधिकारी / अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (प्रभारी महादलित) विकास मित्रों का प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा सौंपे गए मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में महीने की 3 तारीख को राज्य मिशन कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

## IV. विकास मित्र के मानदेय भुगतान

1. प्रत्येक विकास मित्र को प्रतिमाह 3,000/– (तीन हजार) रुपये मानदेय जिला कल्याण पदाधिकारी सह–जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा चेक के माध्यम से प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा पर विकास मित्र के खाता में भुगतान किया जाएगा।

2. प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के अनुशंसा का आधार विकास मित्र द्वारा समर्पित डायरी/उपस्थिति विवरणी होगी। उपस्थिति की अनुशंसा अप्राप्त रहने की स्थिति में जिला परियोजना पदाधिकारी नियामानुसार मानदेय का भुगतान करेंगे।

3. मानदेय भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता की जॉच जिला कल्याण पदाधिकारी सह–जिला परियोजना पदाधिकारी करेंगे।

## V. विकास मित्र का बैठक

1. विकास मित्र अपने कार्य क्षेत्र में स्थित टोला/गॉव/मुहल्ला स्तर पर साप्ताहिक बैठक करेंगे, विभिन्न योजनाओं को महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को अवगत कराएगें एवं बैठक की कार्रवाई तैयार करेंगे।

2. प्रखंड कल्याण पदाधिकारी विकास मित्र के साथ साप्ताहिक बैठक करेंगे एवं उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में विकास मित्र की डायरी की जॉच कर अपना हस्ताक्षर करेंगे। इस बैठक में विकास एवं कल्याण की योजनाओं की जानकारी भी देंगे।

3. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी विकास मित्र की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में भाग लेंगे।

4. जिला कल्याण पदाधिकारी सह–जिला परियोजना पदाधिकारी विकास मित्र की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में न्यून्तम दो बैठकों में भाग लेंगे।

5. आवश्ययकतानुसार अनुमंडल, जिला या राज्य स्तर पर विकास मित्र की बैठक आयोजित की जायेगी।